उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687 | GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल
द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
फैक्स संख्या – 8320

Corporate Tax & GST Cell
IInd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्रांक /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक / /2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0 जानपद (i)/(ii) पारेषण मध्य/पश्चिम दक्षिण–पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण–मध्य
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/मेरठ/प्रयागराज/गोरखपुर/आगरा/झांसी।

विषय :– आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता से विविध मदों में की गयी वसूली पर जी0एस0टी0 की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में।

निगम द्वारा विभिन्न कार्यों/जरूरतो हेतु आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाताओं की सेवा प्राप्त की जाती एवं जिसके सापेक्ष आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाताओं को भुगतान किया जाता है। किन्तु कुछ संव्यवहार ऐसे होते है जिसके सापेक्ष आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता द्वारा निगम को भुगतान किया जाता है, जैसे कि –

1. टेन्डर फीस वसूलना।
2. निगम द्वारा आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता की बैंक गारण्टी जब्त करना।
3. निगम द्वारा आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता की EMD/Security जब्त करना।
4. विलम्ब सप्लाई/सेवाओं पर पेनाल्टी काटा जाना।

उपरोक्त संव्यवहारों पर जी0एस0टी0 की प्रयोज्यता सम्बन्धित विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित अनुसार है –

1. **टेन्डर फीस वसूलना**

खण्डों एवं इकाईयों द्वारा टेण्डर फार्म की बिक्री दो माध्यमों से की जाती है – ऑनलाइन एवं कागजी रूप में।
ऑनलाइन किये गये टेण्डर फार्मों की बिक्री Supply of Services (SAC/HSN-9984) की श्रेणी में आयेगी जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है।
कागजी रूप में की गयी टेण्डर फार्म की बिक्री Supply of Goods (HSN-4911) की श्रेणी में आयेगी जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 12 प्रतिशत है।
भविष्य में बिक्री होने वाले टेण्डर फार्म पर उक्त दरों से जी0एस0टी0 लगाया जायें।

2. **निगम द्वारा आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता की बैंक गारण्टी जब्त करना**

कई बार ठेकेदारों/सेवाप्रदाताओं द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर उनके द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी (जमानत) निगम द्वारा जब्त कर ली जाती है। इस प्रकार जब्त की गई जमानत की धनराशि जी0एस0टी0 के दायरें मे आती है एवं जब्त की गई धनराशि को Supply of Services मानते हुए जी0एस0टी0 देय होगा, जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 दर 18 प्रतिशत है (SAC/HSN-999794)।
ठेकेदारों द्वारा सामान्यतः दो प्रकार की गारण्टी जमा करायी जाती है – Performance bank guarantee and Mobilisation advance bank guarantee, जी0एस0टी0 की देयता केवल Performance bank guarantee के जब्त होने पर आयेगी Mobilisation advance bank guarantee के जब्त होने पर नहीं।

3. **निगम द्वारा आपूर्तीकर्ता/सेवाप्रदाता की EMD/Security जब्त करना**

CGST Act के Section-2(31) के अनुसार यदि जमा राशि वापसी योग्य (Refundable) है तो उस जमा राशि पर जी0एस0टी0 नहीं लगेगा तथा यदि जमा राशि अप्रतिदेय (Non-refundable) है तो उस जमा राशि पर जी0एस0टी0 लगेगा।

साथ ही यदि कोई जमा राशि वापसी योग्य (Refundable) है और बाद में वह जमा राशि प्रतिपूर्ति राशि के विरूद्ध समायोजित होती है तो उस जमा राशि पर जी0एस0टी0 लगेगा तदनुसार EMD/Security Deposit की राशि को जब्त करने या समायोजित करने पर जी0एस0टी0 की देयता आयेगी। वर्तमान में जी0एस0टी0 की दर 18 प्रतिशत है एवं SAC/HSN-999794 है।

बिन्दु सं0 02 एवं 03 के सन्दर्भ में वर्तमान में वसूली गयी राशि को Inclusive of GST मानते हुए आय एवं जी0एस0टी0 की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगी –

$$\text{निगम की आय} = \frac{\text{वसूली गयी राशि}}{(100+\text{जी0एस0टी0 की दर})} \times 100$$

$$\text{जी0एस0टी0 की राशि} = \frac{\text{वसूली गयी राशि}}{(100+\text{जी0एस0टी0 की दर})} \times \text{जी0एस0टी0 की दर}$$

4. **विलम्ब सप्लाई/सेवाओं पर पेनाल्टी काटा जाना**

सामान्यतः विलम्ब से प्राप्त होने वाली आपूर्ति/कार्य में अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत कटौती (एल0डी0/पेनाल्टी) किये जाने का प्रावधान होता है। जी0एस0टी0 प्रणाली में इस प्रकार की कटौतिओं/एल0डी0/पेनाल्टी को जी0एस0टी0 अधिनियम के शिड्यूल II entry no. 5 (agreeing to tolerate an act or a situation : SAC 999794) के अनुसार Supply of Services माना जायेगा एवं इसके लिए Supplier/Contractor को खण्ड/इकाई द्वारा Tax Invoice जारी किया जायेगा जिस पर वर्तमान में जी0एस0टी0 18 प्रतिशत की दर से देय होगा।

Example

Against a contract for Rs.1,00,000 + GST Rs. 18000, UPPTCL decides to levy liquidated damages/penalty @ 10% of Rs. 10,000 on the contractor as per the terms of the contract.

The following procedure should be followed:

1. The contractor shall submit his tax invoice for a total amount of Rs. 1,18,000 (Rs. 1,00,000 + GST Rs. 18,000).
2. UPPTCL shall issue a tax invoice towards liquidated damages for Rs. 10,000 (under tariff heading 999794) + GST Rs. 1,800 totaling to Rs. 11,800 to contractor.
3. UPPTCL shall deposit the GST of Rs. 1,800 and file the prescribed monthly returns within the prescribed time limit.
4. UPPTCL shall make a net payment of Rs. 1,06,200 (Rs. 1,18,000 minus Rs. 11,800) to the contractor.

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा–निर्देश सं0: 20 /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक 27|08|2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/ गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
4. उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:–यथोपरोक्त

(ए0 के0 गुप्ता)
अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)